केवल आप के लिये
गांव–गांव शहर–शहर देश दुनियां में अपनों तक पहुंचाना है तो :भारतीय बस्ती दैनिक वेब
www.bhartiyabasti.com
और उसका छपा संस्करण
सबसे बेहतर माध्यम
सम्पर्क–bhartiyabasti@gmail.com
मो0 9450567450| 9336715406

दैनिक भारतीय बस्ती

भारतीय बस्ती
www.bhartiyabasti.com
के लिये विज्ञापन बुक कराये।
विचार, प्रचार का सशक्त माध्यम
सम्पर्क
मो0 9450567450
9336715406

भारतीय बस्ती आमंत्रण मूल्य 2रूपया

R.N.I. 38784/81 डाक पंजीकरण सं0 B.S.T 59 बस्ती, वर्ष :46 अंक 245 शुक्रवार 4 अप्रैल 2025 (बस्ती संस्करण) बस्ती एवं अयोध्या–फैजाबाद से एक साथ प्रकाशित पृष्ठ :4मूल्य:3.00 रुपया www.bhartiyabasti.com

कात्यायनी: अमोघ फलदायिनी हैं मां दुर्गा की छठवीं शक्ति

चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवरवाहना।
कात्यायनी शुभं दद्याद्देवी दानवघातिनी।।

नवरात्रि में छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं।

इस देवी को नवरात्रि में छठे दिन पूजा जाता है। कात्य गोत्र में विश्वप्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती पराम्बा की उपासना की। कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो। मां भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया।

इसलिए यह देवी कात्यायनी कहलाई। इनका गुण शोधकार्य है। इसीलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे जो जाते हैं। ये वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गईं। मां कात्यायनी अमोघ फलदायिनी हैं।

एक नजर

सड़क हादसे में अध्यापक की मौत

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। शहर कोतवाली थानाक्षेत्र के अमहट पुल के पास हुए सड़क हादसे में गौतम इंटर कॉलेज पिपरा गौतम के सहायक अध्यापक प्रताप सिंह की मौत हो गई। वह रामपुर जनपद के मूल निवासी थे और बस्ती नगर क्षेत्र के पिपरा गौतम स्थित गौतम इंटर कॉलेज में अंग्रेजी विषय के सहायक अध्यापक थे। बताया जा रहा है कि शहर के डमरूआ में किराए का मकान लेकर रहते थे। आवास पर पैदल जाते वक्त अमहट पुल के पहले हाईवे के निकट सर्विस लेन पर पहुंचे थे। तभी दूसरी तरफ से तेज गति से आ रहे बाइक सवार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दिया। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। विद्यालय के अध्यापकों तथा अन्य लोगों की सहायता से उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया। जहां से उन्हें उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के लिए रेफर कर दिया गया लेकिन रास्ते में ही दम तोड़ दिया। हादसे में बाइक सवार एक युवक भी घायल हो गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दुर्घटनाग्रस्त बाइक को अपने कब्जे में ले लिया।

मिला परीक्षाफल, खिले चेहरे

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। गुरुवार को जनपद के हर्रैया तहसील स्थित श्रीनिवास श्री भगवान इंटर कॉलेज डुहवा मिश्र मे वार्षिक रिपोर्ट कार्ड वितरण समारोह का हुआ आयोजन जिसमें विद्यालय संरक्षक शीतला प्रसाद मिश्र ने बताया कि स्कूल के बच्चो का अच्छा रिजल्ट आया है। विद्यालय के सभी शिक्षकों ने खूब मेहनत किया है।

विद्यालय में हुआ वार्षिक रिपोर्ट कार्ड का वितरण विद्यालय के संरक्षक श शीतला प्रसाद मिश्र द्वारा शील्ड, मेडल व सर्टिफिकेट देकर किया गया।

प्रथम रैंक होल्डर्स में कृष्णा, अभयदीप, अभय यादव, पूजा वर्मा,पायल,अर्पिता, सेकंड रैंक होल्डर्स में आदित्य ,सुंदरम,शैलेश कृष्ण व तृतीय रैंक होल्डर्स में अनुराग जायसवाल, आन्या पाण्डेय,छाया आदि को मेडल,शील्ड देकर सम्मानित किया गया।

विद्यालय के संरक्षक ने उत्साह वर्धन किया। प्रधानाचार्या सुनीता मिश्रा ने बच्चों को शुभेच्छा दी ।

वक्फ बिल पर जेडीयू में बगावत! कासिम अंसारी ने पार्टी छोड़ी, नीतीश को भेजा त्यागपत्र

नई दिल्ली (आभा)। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पास हो गया है। मुस्लिम संगठनों के विरोध के बीच एनडीए की सहयोगी जेडीयू ने समर्थन दिया है। नीतीश कुमार के इस फैसले से पार्टी में मुस्लिम नेताओं की नाराजगी खुल कर सामने आई है। जदयू के वरिष्ठ नेता डॉ मोहम्मद कासिम अंसारी ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होने अपना त्याग पत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सीएम नीतीश कुमार को भेजा है। कासिम अंसारी पूर्वी चंपारण जिले के जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रवक्ता हैं। आपको बता दें वक्फ बिल को लेकर जदयू एमएलसी गुलाम गौस ने भी विरोध जताया था। ईद के दिन वो लालू यादव से मुलाकात करने भी पहुंचे थे। जिसको लेकर सियासी पारा चढ़ गया था।

नीतीश कुमार को लिखे पत्र में कासिम अंसारी ने वक्फ संशोधन बिल 2024 को लेकर जेडीयू के स्टैंड की आलोचना की है, और कहा

कि इससे उन्हें और लाखों करोड़ों समर्पित भारतीय मुसलमानों एवं कार्यकर्ताओं को गहरा आघात लगा है। उन्होंने यह भी कहा है कि लोकसभा में ललन सिंह ने जिस तेवर और अंदाज से अपना वक्तव्य दिया और इस बिल का समर्थन किया, उससे वे काफी मर्माहत हुए हैं। उन्होने आगे लिखा कि ये बिल पसमांदा विरोधी है, जिसका अंदाजा न आपको है, और न ही आपकी पार्टी को। मुझे अफसोस है कि मैंने अपनी जिंदगी के काफी साल पार्टी को दिए हैं। मैं पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और सभी पदों से इस्तीफा देता हूं।

वक्फ बिल पर जेडीयू एमएलसी गुलाम गौस पहले ही विरोध जता चुके हैं, वहीं जदयू के राष्ट्रीय महासचिव गुलाम रसूल बलियावी ने भी वक्फ बिल पर एनडीए सरकार को घेरते हुए कहा था, कि वक्फ संशोधन बिल पर पार्लियामेंट में धर्मनिरपेक्ष और सांप्रदायिक सब नंगे हो गए, बिल की कॉपी आने के बाद बहुत जल्द मीटिंग बुलाई जाएगी। एदारा–ए–शरिया बड़ी बैठक करके फैसला लेंगे। सिर्फ वॉल पर लिखने के लिए नहीं, वाट्सएप, फेसबुक पर सिर्फ ताना देने के लिए नहीं, मैदान में उतरने की हिम्मत रखिए।

एसडीएम आवास के पास मिला होमगार्ड का शव

अमेठी (आभा)। गौरीगंज क्षेत्र में उप जिलाधिकारी के आवास परिसर में एक कमरे से होमगार्ड के जवान का शव बरामद किया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल मौत के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस जांच में जुटी है। पुलिस ने बताया कि तहसील कैंपस स्थित उप जिलाधिकारी (न्यायिक) के आवास परिसर में एक कमरे से बुधवार और बृहस्पतिवार की दरमियानी रात होमगार्ड जवान राज किशोर (56) का शव बरामद हुआ।

उसने बताया कि राज किशोर गौरीगंज थाना क्षेत्र के ही पनियार का रहने वाला था। वह गौरीगंज तहसील परिसर में ही उप जिलाधिकारी (न्यायिक) मोहम्मद असलम के आवास पर ड्यूटी पर तैनात था। ड्यूटी के दौरान ही वह मृत पाया गया। गौरीगंज थाने के प्रभारी निरीक्षक श्याम नारायण पाण्डेय ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा।

शिक्षा मित्रों ने सौंपा ज्ञापन मानदेय वृद्धि की मांग

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। गुरूवार को आदर्श समायोजित शिक्षक शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं बनकटी ब्लाक अध्यक्ष राघवेन्द्र प्रसाद उपाध्याय के नेतृत्व और जिला अध्यक्ष राम पराग चौधरी के निर्देशन में एक प्रतिनिधि मण्डल ने विधान परिषद सदस्य देवेन्द्र प्रताप सिंह को ज्ञापन सौंपा। वे बनकटी विकास खण्ड के उच्च प्राथमिक विद्यालय देवमी में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने आये थे।

शिक्षा मित्रों ने मांग किया कि उनका शिक्षक के रूप में समायोजन कराया जाय। जब तक समायोजन नहीं होता सम्मानजनक मानदेय वृद्धि कराया जाय। स्थानान्तरण, समायोजन के आदेश का पालन कराया जाय। एमएलसी देवेन्द्र प्रताप सिंह ने आश्वासन दिया कि वे शिक्षा मित्रों की समस्याओं के समाधान हेतु हर संभव प्रयास करेंगे।

ज्ञापन सौंपने के दौरान एसोसिएशन संरक्षक,, अभय सिंह यादव , वरिष्ठ शिक्षा मित्र नेता राकेश कुमार उपाध्याय, पंचानन पाल, उमेश तिवारी , ब्रह्मदेव चौधरी , यशवन्त कुमार , इंद्रजीत चौधरी , पवन चौधरी , सुभाष , फूलचंद्र, बालेंद्र कुमार , रवि प्रताप सिंह , आदित्य पाण्डेय , मंजेश राजभर , आदित्य नाथ त्रिपाठी , नीतू सिंह , शशिकला पाण्डेय , अशोक कुमार विश्वकर्मा , प्रमोद कुमार चौधरी , रामधनी चौधरी , चंद्र भान चौधरी , कुलदीप पाण्डेय के साथ ही शिक्षक, शिक्षा मित्र मौजूद रहे।

डीएम ने किया गेहूं फसल कटाई का निरीक्षण

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । जिलाधिकारी रवीश गुप्ता ने तहसील सदर बस्ती के ग्राम पंचायत सिकरा हकीम के ग्राम करनपुर में रवी फसल गेहूं की कटाई प्रयोग का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान गाटा संख्या 86 श्रीमती कमलावती पत्नी सीताराम एवं गाटा संख्या 36 अब्दुल हई पुत्र वकील अहमद के खेत में 43.30 वर्ग मीटर कटाई करा कर गेहूं की उत्पादकता एवं उत्पादन की जांच किया।

उन्होने पाया कि जिसमें क्रमशः 18.590 कि0ग्रा0 एवं 19.280 कि०ग्रा० वजन निकला, जिसके अनुसार प्रति हेक्टेयर उत्पादन 37.73 कु0/हे० एवं 39.13 कु0/हे० अनुमानित किया गया।

निरीक्षण के दौरान उप जिलाधिकारी सदर शत्रुघ्न पाठक, अपर सांख्यिकीय अधिकारी अजय कुमार चौधरी, नायब तहसीलदार वीर बहादुर, राजस्व निरीक्षक अजय सिंह, लेखपाल दिनेश, हीरालाल, अरविन्द, ग्राम प्रधान एवं ग्रामवासी उपस्थित रहें।

शिक्षकों के प्रयास से मजबूत हो रहे हैं परिषदीय विद्यालय–देवेन्द्र प्रताप सिंह

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। गुरूवार को बनकटी विकास खंड क्षेत्र में संचालित पीएम श्री उच्च प्राथमिक विद्यालय देवमी पर विद्यालयीय वार्षिक उत्सव, शिक्षक सम्मान, और प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि विधान परिषद सदस्य देवेन्द्र प्रताप सिंह ने सेवानिवृत शिक्षिका रुक्मणी वर्मा व राष्ट्रीय आय आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा उत्तीर्ण छात्र अर्पण सर्वेष्ट, विजय बहादुर सहित सबसे अधिक अंक पाने वालों बच्चों, अभिभावकों को पुरस्कृत किया। कहा कि शिक्षकों पर समाज निर्माण का दायित्व है। शिक्षको के निरन्तर प्रयास का फल है कि परिषदीय विद्यालयों की स्थिति में निरन्तर सुधार हो रहा है। कहा कि शिक्षक समस्याओं के समाधान की दिशा में उनके स्तर पर निरन्तर प्रयास जारी है।

विशिष्ट अतिथि सामाजिक कार्यकर्ता हरीश सिंह ने कहा कि शिक्षकों को अभिभावकों का विश्वास जीतना होगा। संचालन अतुल कृष्ण राज ने किया। प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला कोषाध्यक्ष अभय सिंह यादव ने कहा कि निरन्तर प्रयासों

–वार्षिकोत्सव में छा गये छात्र प्रतिभाओं को मिला सम्मान

का परिणाम है कि आज परिषदीय विद्यालय पहले से अधिक समृद्ध हुये हैं और इन स्कूलों से निकले छात्र निरन्तर प्रगति की ओर है।

कार्यक्रम संयोजक विद्यालय के प्रधानाध्यापक राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षक मोहम्मद इकबाल और ग्राम प्रधान राजेंद्र प्रसाद चौधरी ने अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिये मिलकर भूमिका निभानी होगी। अध्यक्षता खंड शिक्षा अधिकारी अरुण कुमार यादव ने किया ।

कार्यक्रम में मुख्य रूप से डा. अनिल कुमार मौर्य, अरुण कुमार पाण्डेय, सुदर्शन प्रसाद त्रिपाठी, रामचंद्र शुक्ल, कमलेश्वर प्रसाद, विनोद चौधरी, दुर्गेश राव मारूफ खान, नवीन चौधरी, आदित्यनाथ त्रिपाठी, अभिराम, उमराव, शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष राघवेन्द्र उपाध्याय, उमेश चंद्र त्रिपाठी, ध्रुव नारायण दुबे, महेंद्र सिंह, राघव प्रसाद चतुर्वेदी, दीपेंद्र यादव, दिग्विजय नाथ यादव, परमात्मा प्रसाद, शारदा प्रसाद चौबे, अजीत जायसवाल, दीपक चौरसिया, रवि प्रकाश शुक्ला, सत्य प्रकाश, विनय शर्मा, विनय शंकर पाण्डेय, अनुपम मिश्रा, नीलम, रेखा पाण्डेय, निवेदिता तिवारी, कमलेश्वर प्रसाद, विनोद कुमार, ऋषभ कुमार, सुनीता यादव, बालेन्द्र, सुनीता चौधरी, विद्यालय प्रबंधन समिति की अध्यक्ष रंजना देवी, चंद्रशेखर शर्मा, मोहम्मद कामरान, आनंद प्रजापति, राम चरित्र, रामेश्वर, पंचानन पाल, राकेश उपाध्याय, अंगद पाण्डेय, आशीष श्रीवास्तव, बीपी लहरी, राकेश मिश्र, मंजेश राजभर, रवि प्रताप सिंह, विवेक तिवारी के साथ ही अनेक शिक्षक, अभिभावक उपस्थित रहे।

अधिवक्ताओं के तख्ते पर कचहरी में दो युवतियों ने किया हंगामा

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। शहर में कचहरी स्थित अधिवक्ताओं के तख्ते के पास गुरुवार को दिन में दो युवतियों ने जमकर हंगामा किया। आरोप है कि आक्रोशित युवतियों को समझाने का प्रयास करने गए अधिवक्ता के साथ भी बदसलूकी की गई। हंगामा होता देखकर मौके पर काफी संख्या में अधिवक्ता व अन्य लोग जुट गए। लोगों ने दोनों युवतियों को समझाने का प्रयास किया। इस पूरे हंगामे से संबंधित एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि गुरुवार को दिन के वक्त कचहरी पहुंची दो युवतियां अचानक आक्रोशित होकर विवाद करने लगीं। उनकी तेज आवाज सुन आसपास कार्य कर रहे अधिवक्ता भी पहुंच

गए। आरोप है कि युवतियों के विवाद में बीच–बचाव करने गए एक अधिवक्ता के साथ युवतियों ने बदसलूकी की। यह देखकर साथी अधिवक्ताओं ने दोनों युवतियों को किसी तरह शांत कराया। इसके बाद भी वह दोनों उल्टे–सीधे आरोप लगाते हुए विवाद पर आमादा दिखीं। करीब आधे घंटे तक कचहरी में हाईवोल्टेज ड्रामा चलता रहा। इसके बाद दोनों युवतियां कचहरी से चली गईं। फिलहाल पूरे घटनाक्रम का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

शिक्षक नेता अखिलेश मिश्र के निधन पर शोक

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। प्राथमिक शिक्षक संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अखिलेश मिश्र का मेडिकल कॉलेज लखनऊ में इलाज के दौरान निधन हो गया। उनके निधन से शिक्षकों में रोष व्याप्त है। कुछ शिक्षकों का कहना है कि विभागीय स्तर पर उत्पीड़न के कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। अखिलेश मिश्र का निधन सिस्टम की मौत है।

अमेरिका ने लगाया भारतीय सामानों पर जबाबी शुल्क

नयी दिल्ली (आभा)। अमेरिका ने उसके बाजारों में आने वाले भारतीय सामानों पर 27 प्रतिशत जवाबी शुल्क या आयात शुल्क लगाने की घोषणा की है। विशेषज्ञों का मानना है कि शुल्क भारतीय सामानों के लिए चुनौतियां उत्पन्न करेंगे, लेकिन भारत की स्थिति अपने प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में बेहतर बनी हुई है जिन्हें उनसे अधिक शुल्क का सामना करना पड़ेगा। ये वस्तुओं के आयात पर लगाए गए सीमा शुल्क या आयात शुल्क हैं। आयातक को सरकार को यह शुल्क देना होता है। आम तौर पर, कंपनियां इनका बोझ उपयोगकर्ताओं पर डालती

हैं। भारत से आने वाले इस्पात, एल्युमीनियम और वाहन व उसके घटकों पर पहले ही 25 प्रतिशत शुल्क लगा है। शेष उत्पादों पर भारत पर पांच से आठ अप्रैल के बीच 10 प्रतिशत का मूल (बेस लाइन) शुल्क लगेगा। फिर नौ अप्रैल से शुल्क 27 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा।

एम.आर.एकेडमी का उद्घाटन : शिक्षा से बदलता है जीवन–अंकुर वर्मा

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। शिक्षा ही वह सद्मार्ग है जिससे जीवन बदलता है। ज्ञान बाटने से बढता है। आज के नौनिहाल कल के भारत के भविष्य हैं। इन्हें जितने अच्छे संस्कार, ज्ञान मिलेंगे देश उतना ही शक्तिशाली होगा। यह विचार भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं नगर पालिका परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि अंकुर वर्मा ने गुरुवार को महरीखांवा स्थित एम.आर.एकेडमी का उद्घाटन करते हुये व्यक्त किया।

एकेडमी के निदेशक मनोज कुमार सिंह ने अतिथियों का स्वागत करते हुये बताया कि एम.आर.एकेडमी में प्ले वे कक्षा 5 तक के शिक्षण की प्रारम्भिक व्यवस्था है। सुयोग्य शिक्षक, गुणवत्तापूर्ण संसाधन और अत्याधुनिक तकनीक से लैश एकेडमी

में उत्कृष्ट शिक्षा हमारा लक्ष्य है। बताया कि अभिभावकों के परामर्श का स्वागत रहेगा।

उद्घाटन अवसर पर संजय कुमार सिंह, राजनरायन सिंह, प्रसिद्ध पाल, आर.सी. सिंह, अमरेश, विनोद उपाध्याय, चन्द्र प्रकाश मिश्र, हरिगोविन्द सिंह गुड्डू आदि ने महत्वपूर्ण सुझाव दिये। मुख्य रूप से पुष्पा मिश्रा, चन्द्र प्रकाश मिश्रा, कल्पना सिंह, विकास, अजय पाठक, कीर्ति, रूपम तिवारी, जानकी यादव, दीप्ति, प्रिया अग्रहरि, आयशा खातून, रेणुका सिंह, कुसुम लता यादव, नीतू त्रिपाठी, रैना गुप्ता, सुनील उपाध्याय, प्रदीप पाण्डेय, अभिषेक पाल के साथ ही प्रधानाचार्य, शिक्षक, अभिभावक, छात्र और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।

राजन एकेडमी में प्रार्थना, पुष्पवर्षा से शुरू हुआ नया शैक्षणिक सत्र

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। गुरूवार को राजन इण्टर नेशनल एकेडमी के नवीन सत्र का आरम्भ मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और पूर्वान्चल के मालवीय पं. सूर्यनारायण चतुर्वेदी के चित्र पर पुष्पार्चन से आरम्भ हुआ। प्रबंधक निदेशक शिखा चतुर्वेदी, कार्यकारी निदेशक संजीव पाण्डेय, प्रधानाचार्य शानू एन्टोनी और एकेडमी के शिक्षक, शिक्षिकाओं ने छात्रों को चंदन लगाकर पुष्पवर्षा करते हुये उनका स्वागत किया।

नवीन सत्र के आरम्भ अवसर पर प्रबंधक निदेशक शिखा चतुर्वेदी ने कहा कि गुरूजनों के प्रयास, अभिभावकों के विश्वास का परिणाम है कि चौथे वर्ष में प्रवेश कर रहे एकेडमी ने शिक्षा के क्षेत्र में विश्वास अर्जित किया है। कहा कि शिक्षा का उद्देश्य छात्र का समग्र विकास करना है। केवल किताबों से ज्ञान नहीं मिलता। समर्थ गुरू छात्रों का जीवन बदल देते हैं। कहा कि बेहतर शिक्षा के लिये अत्याधुनिक संसाधनों की कमी नहीं होने पायेगी। इस अवसर पर उपस्थित छात्रों और विद्यालय परिवार के सदस्यों का मुंह मीठा कराया गया।

इस अवसर पर जितेंद्र यादव ,पुनीता पाण्डेय, राम स्वरूप यादव, सुमन दूबे, रेखा श्रीवास्तव, पूनम गुप्ता, प्रमिला शुक्ला, श्वेता

–छात्रों का समग्र विकास हमारा लक्ष्य– शिखा चतुर्वेदी

त्रिपाठी, नीलम श्रीवास्तव, निशु उपाध्याय, शालिनी श्रीवास्तव,अन्नू, सुष्मिता मन्ना, सुष्मिता पाण्डेय, नेहा अबरोल, आकृति पाण्डेय, सौम्या पाण्डेय, जानवी शुक्ला, दीपांजलि, रीना पाण्डेय, नैन्सी वर्मा, आकृति साहू, आकृति पाण्डेय, तहजीब फातिमा, अर्चना पटेल, अर्चना द्विवेदी, रूपा जायसवाल, सुषमा गुप्ता, हर्षिका शुक्ला, फातिमा सिद्दीकी, रजनी श्रीवास्तव, फरहत फातिमा, शहनाज यूनुस, नलिनी गुप्ता, ज्योति पाण्डेय, माया सिंह, मनीषा गुप्ता, प्रभा त्रिपाठी, श्रद्धा पाण्डेय, शालिनी श्रीवास्तव, कोमल गुप्ता, आशीष कसौधन, प्रेरणा सिंह, प्रभात त्रिपाठी, साक्षी मिश्रा, दीपाली वर्मा, माया शुक्ला, सिमरन गुप्ता, शालिनी श्रीवास्तव, अभिरामी, वेदिका गुप्ता, शिक्षा बरनवाल, रिया दुबे, खदीजा परवीन, अंजलि चौरसिया, अमित मिश्रा, राम स्वरूप यादव, सौरभ पाण्डेय, अनूप पाण्डेय, रचित गुप्ता, मनजीत सिंह, संजय तिवारी, मोहम्मद सारिक, कुशाग्र मिश्रा, दीप कमल सिंह, गोपाल सिंह, किरण के विस्टन, ज्वैल थॉमस,शिवांश उपाध्याय, शुभम पटेल, रवि प्रकाश तिवारी, अभिषेक कुमार धर्मेंद्र तिवारी, गौतम प्रकाश, विकास कुमार चतुर्वेदी अभय कुमार पाण्डेय सहित अनेक शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहे।

"मुझे अखबार निकालने दो तो मै इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता"–वेंडेल फिलिप्स

दैनिक
भारतीय बस्ती

बस्ती 4 अप्रैल 2025 शुक्रवार

सम्पादकीय

वक्फ संशोधन बिल और राजनीति

वक्फ संशोधन बिल बुधवार को लोकसभा में पास हो गया। बिल पर करीब 12 घंटे चर्चा हुई थी। 288 ने बिल के पक्ष में और 232 ने विपक्ष में वोट डाले। वक्फ बिल को एनडीए सरकार में शामिल नीतीश कुमार की जेडीयू और चिराग पासवान की लोजपा (आर) ने भी समर्थन दिया। जिसके बाद अब बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश कुमार ने हमला बोला है। उन्होने कहा कि वक्फ बिल तानाशाही का सबूत है। यह निष्पक्ष सरकार नहीं है, सरकार दुर्भावनापूर्ण इरादे से यह बिल लेकर आई है। आश्चर्य की बात यह है कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार, जो निष्पक्ष होने का दावा करती थी, आज अपने सहयोगी दलों के जरिए मुस्लिम समुदाय की पीठ में छुरा घोंपा है।

वहीं बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर उन्होने कहा कि हम अपने संगठन का बहुत तेजी से विस्तार कर रहे हैं। संगठन को मजबूत कर रहे हैं। आने वाले समय में इंडिया गठबंधन एक बड़ी ताकत बनकर उभरेगा। हम लोग सीटों की संख्या बढ़ाकर सरकार बनाएंगे। हालांकि तेजस्वी के सीएम फेस के सवाल पर एनडीए पर हमलावर होते दिखे, और कहा कि चेहरा उन लोगों से पूछिए।

केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को इस बिल को राज्यसभा में भी पेश कर दिया। हालांकि, वक्फ संशोधन विधेयक, 2024 की असल परीक्षा इसी सदन में मानी जा रही है। दरअसल, राज्यसभा में एनडीए का बहुमत जरूरी संख्या पर ही स्थिर है। ऐसे में गठबंधन के किसी भी दल के किसी भी सांसद का इधर–उधर होना विधेयक को पास कराने की राह में रोड़ा बन सकता है।

इस बीच बीजू जनता दल (बीजद) ने अपना वक्फ संशोधन विधेयक की खिलाफत करने का अपना रुख बदल लिया है। अब पार्टी के सांसद सस्मित पात्रा ने कहा है कि वक्फ विधेयक के लिए पार्टी की तरफ से कोई व्हिप नहीं जारी किया गया है। सांसद अपने अंतरात्मा की आवाज को सुनकर राज्यसभा में वक्फ विधेयक पर वोटिंग कर सकते हैं।

कार्यालय ग्राम पंचायत–भरवलिया वि0ख0 – बर्डपुर, जनपद– सिद्धार्थनगर

निविदा/आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **भरवलिया**, विकास खण्ड बर्डपुर, जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना पंद्रहवां वित्त/चतुर्थ राज्य वित्त/केन्द्रीय वित्त/ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) एवम अन्य शासकीय योजना के अन्तर्गत स्वीकृति तथा कराये जाने वाले कार्यों में प्रयोग हेतु सामग्री आपूर्ति हेतु इंटरलाकिंग प्रथम श्रेणी ईट, बालू, सीमेन्ट, मोरंग, सरिया, पेन्ट, वायरिंग, पत्थर की गिट्टी, टाइल्स, हियूमपाइप, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, हार्डवेयर, सफाई कर्मी, गोवंश भरण–पोषण, हेतु भूसा दाना, टूल किट, इण्डिया मार्का पम्प, मरम्त, रिबोर पंचायत भवन निर्माण व मरम्मत व सार्वजनिक स्थान पर बैठने हेतु बेंच निर्माण ग्राम पंचायत में उपस्वास्थ्य केन्द्र मरम्मत/सामुदायिक शौचालय मरम्मत व निर्माण, ठोस तरल अपशिष्ट प्रबन्धक (एस0एल0डब्लू0एम0), इलेक्ट्रानिक मटेरियल आदि समानो की व समय समय पर आवश्कतानुसार कार्य करने सम्बंधित सामग्री इत्यादि की आपूर्ति हेतु निविदा सत्र 2025–26 हेतु आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता द्वारा दिनाँक 15–04–2025 को प्रातः 10.00 बजे तक सामग्री आपूर्ति हेतु अपनी निविदा तथा वाछित प्रपत्र बन्द लिफाफे में ग्राम पंचायत कार्यालय **भरवलिया** के निविदा बॉक्स में डाली जायेगी। और उसी दिन प्रातः 10.00 बजे ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा नामित अधिकारी, कर्मचारियों द्वारा आपूर्तिकर्ताओं की उपस्थिति में टेन्डर खोला जायेगा तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहर की राशि मूल्य 5000– रुपये होगी।

नियम व शर्ते

1–जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगी, वही निविदा स्वीकृति की जायेगी ।

2–आपूर्तिकर्ता का सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है तथा वह आयकरदाता हो। प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

3–सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में कार्य स्थल पर ही करनी होगी।

4– जो दरे प्रस्तुत की जाये वह जीएसटी तथा कार्टेज चार्ज तथा अन्य कर जोड़कर प्रस्तुत की जाये।

5– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत/ग्राम प्रधान के आदेश पर ही की जायेगी।

6– सामग्री की मात्रा घटायी या बढ़ाई जा सकती है।

7– ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान/सचिव/सदस्य/बीडीसी/जिला पंचायत सदस्य/ तकनीकी सहायक/रोजगार सेवक आदि कर्मचारियों के सगे सम्बंधित एवं रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी। उक्त आशय की नोटरी शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

8– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान के पास होगा स्वीकृति आपूर्तिकर्ता को भुगतान तकनीकी सहायक/अवर अभियंता द्वारा सामग्री की गुणवत्ता प्रमाणित होने तथा मापन के उपरान्त किया जायेगा गुणवत्ता खराब होने पर भुगतान नहीं किया जायेगा।

9– आपूर्तिकर्ता को 2.24 प्रतिशत आयकर देना होगा। आपूर्ति हेतु सम्बंधित के पास डीलरशिप/एजेंसी होना अनिवार्य है अन्यथा की दशा में आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति हेतु खरीदी गयी सामग्री का पक्का बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

10– निविदा फॉर्म ग्राम पंचायत **भरवलिया** कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 100 (एक सौ) रुपया है पर ही स्वीकार किया जायेगा। अन्य जानकारी ग्राम पंचायत कार्यालय महदेवा लाला से प्राप्त की जा सकती है।

ग्राम प्रधान–देवेन्द्र चौधरी
ग्राम पंचायत– भरवलिया
विकास खण्ड–बर्डपुर
जनपद –सिद्धार्थनगर

सचिव–केशभान यादव
ग्राम पंचायत– भरवलिया
विकास खण्ड–बर्डपुर
जनपद –सिद्धार्थनगर

कार्यालय ग्राम पंचायत दरियापुर जंगल वि0ख0 रामनगर जनपद– बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान/मनरेगा/ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 04–04 2025 से 10–04–2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 11–04–2025 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समसिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पदों, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढ़ा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंड़जा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, हयूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्ते– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(उर्मिला देवी) ग्राम प्रधान **(तीरथ प्रसाद)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /02.04.2025 वित्तीय वर्ष 2025–26

कार्यालय ग्राम पंचायत धवाय वि0ख0 रामनगर जनपद– बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान/मनरेगा/ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 04–04 2025 से 10–04–2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 11–04–2025 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समसिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पदों, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढ़ा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंड़जा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, हयूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्ते– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(इन्द्रजीत) ग्राम प्रधान **(जयेन्द्र लाल)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /02.04.2025 वित्तीय वर्ष 2025–26

कार्यालय ग्राम पंचायत नरखोरिया वि0ख0 रामनगर जनपद– बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान/मनरेगा/ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 04–04 2025 से 10–04–2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 11–04–2025 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समसिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पदों, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढ़ा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंड़जा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, हयूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्ते– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(जितेन्द्र प्रसाद) ग्राम प्रधान **(आशुतोष पाल)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /02.04.2025 वित्तीय वर्ष 2025–26

कार्यालय ग्राम पंचायत टंडौठी वि0ख0 रामनगर जनपद– बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान/मनरेगा/ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 04–04 2025 से 10–04–2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 11–04–2025 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समसिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पदों, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढ़ा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंड़जा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, हयूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्ते– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(हरीश लाल) ग्राम प्रधान **(आनन्द पाल)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /02.04.2025 वित्तीय वर्ष 2025–26

कार्यालय ग्राम पंचायत तेनुआ असनहरा वि0ख0 रामनगर जनपद– बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान/मनरेगा/ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 04–04 2025 से 11–04–2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 12–04–2025 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समसिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पदों, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढ़ा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंड़जा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, हयूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्ते– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(वीरेन्द्र चौधरी) ग्राम प्रधान **(शिवनन्दन त्रिपाठी)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /02.04.2025 वित्तीय वर्ष 2025–26

कार्यालय ग्राम पंचायत तुरकौलिया उर्फ करमहिया वि0ख0 रामनगर जनपद– बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान/मनरेगा/ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 04–04 2025 से 10–04–2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 11–04–2025 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समसिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पदों, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढ़ा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंड़जा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, हयूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्ते– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(गरिमा सिंह) ग्राम प्रधान **(शिवनन्दन त्रिपाठी)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /02.04.2025 वित्तीय वर्ष 2025–26

कार्यालय ग्राम पंचायत पड़री वि0ख0 सल्टौआ गोपालपुर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान/मनरेगा/ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 04–04 2025 से 11–04–2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 12–04–2025 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईंट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईंट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समर्सिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढ़ा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंड़जा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, हयूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्ते– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(झगरू) ग्राम प्रधान (चन्द्रशेखर) ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /02.04.2025 वित्तीय वर्ष 2025–26

कार्यालय ग्राम पंचायत जाता वि0ख0 सल्टौआ गोपालपुर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान/मनरेगा/ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 04–04 2025 से 09–04–2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 10–04–2025 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईंट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईंट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समर्सिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढ़ा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंड़जा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, हयूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्ते– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(संतोष चौधरी) ग्राम प्रधान (चन्द्रशेखर) ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /02.04.2025 वित्तीय वर्ष 2025–26

कार्यालय ग्राम पंचायत देईपार वि0ख0 सल्टौआ गोपालपुर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान/मनरेगा/ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 04–04 2025 से 10–04–2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 11–04–2025 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईंट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईंट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समर्सिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढ़ा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंड़जा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, हयूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्ते– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(रघुवीर) ग्राम प्रधान (चन्द्रशेखर) ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /02.04.2025 वित्तीय वर्ष 2025–26

कार्यालय ग्राम पंचायत मुरादपुर वि0ख0 सल्टौआ गोपालपुर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान/मनरेगा/ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 04–04 2025 से 09–04–2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 10–04–2025 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईंट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईंट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समर्सिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढ़ा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंड़जा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, हयूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्ते– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(सूर्यनाथ) ग्राम प्रधान (तनवीर अशरफ) ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /02.04.2025 वित्तीय वर्ष 2025–26

कार्यालय ग्राम पंचायत परसा दमया वि0ख0 सल्टौआ गोपालपुर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान/मनरेगा/ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 04–04 2025 से 10–04–2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 11–04–2025 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईंट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईंट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समर्सिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढ़ा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंड़जा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, हयूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्ते– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(विश्राम) ग्राम प्रधान (रिंगभान चौधरी) ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /02.04.2025 वित्तीय वर्ष 2025–26

कार्यालय ग्राम पंचायत विशुनपुर वि0ख0 सल्टौआ गोपालपुर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान/मनरेगा/ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 04–04 2025 से 09–04–2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 10–04–2025 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईंट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईंट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समर्सिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढ़ा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंड़जा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, हयूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्ते– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(वेद प्रकाश) ग्राम प्रधान (रिंगभान चौधरी) ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /02.04.2025 वित्तीय वर्ष 2025–26

शराब का ठेका हटाए जाने की मांग को लेकर धरने पर बैठे वार्डवासी

संवाददाता–महराजगंज। सिसवा नगरपालिका के चित्रगुप्त नगर वार्ड में रेलवे स्टेशन रोड पर देशी व विदेशी शराब के ठेके को हटाए जाने की मांग को लेकर गुरूवार को वार्डवासियों का गुस्सा फूट पड़ा। सभासद प्रतिनधि राजन विश्वकर्मा के नेतृत्व में वार्डवासी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। धरना स्थल पर प्रेमलाल सिंहानिया कन्या इंटरमीडिएट कॉलेज की प्रधानाचार्य शशिकला सिंह ने कहा कि शराब की दुकानों से महज पचास मीटर की दूरी पर कन्या इंटरमीडिएट कॉलेज संचालित है। इससे कॉलेज आने–जाने वाली छात्राओं को भी काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है। राजन विश्वकर्मा ने कहा कि वार्ड में रेलवे स्टेशन रोड पर देशी व विदेशी शराब का ठेका आबकारी नीतियों के विपरीत आबादी के बीचोबीच स्थित है। जबकि ठेके के ठीक सामने मंदिर व देववृक्ष है। यहां प्रतिदिन वार्ड के महिला पुरुष श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए पहुंचते हैं। वहीं ठेके के बगल में ही नगर की एकमात्र महिला चिकित्सक का आवास भी है, जहां इमरजेंसी में महिला मरीजों को इलाज के लिए जाना पड़ता है। ऐसे जगह पर ठेके की वजह से वार्ड की महिलाओं व लोगों को शराब के शौकीनों की वजह से काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है।

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब

(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)

न्यायालय–श्रीमान सिविल जज (सी0डि0) महोदय बस्ती जिला–बस्ती

मूलवाद सं0–626/2024

रामपूरत

बनाम

रामलौट आदि

1. रामलौट आयु 32 वर्ष पुत्र रामनाथ निवासी ग्राम मुड़िला कठार तप्पा नवाई परगना नगर पश्चिम तहसील हर्रैया जिला–बस्ती

–प्रतिवादी प्रथम वर्ग

2. राधेश्याम पुत्र रामपाल निवासी ग्राम मुड़िला कठार तप्पा नवाई परगना नगर पश्चिम तहसील हर्रैया जिला–बस्ती

–प्रतिवादी द्वितीय वर्ग

तारीख पेशी 07–05–2025

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 07 माह 05 सन 2025 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

–द0 हाकिम

अदालती नोटिस

इत्तिलानामा दरख्वास्त हुसूल हुक्म मुशहर मन्सूखी डिसमिसी नालिश

(आर्डर 9 कायदा 9) (2)

अदालत– सिविल जज (जू0डि0) बस्ती जिला–बस्ती

प्रकीर्णवाद सं0 149/2023

रामपियारे

बनाम

रामलखन आदि

1. रामलखन पुत्र लौटन निवासी ग्राम बनरही जंगल तप्पा कोठिला परगना बस्ती पूरव तहसील भानपुर जिला बस्ती 2. सरकार उ0प्र0 जरिये जिलाधिकारी बस्ती

तारीख पेशी 21–05–2025

हरगाह मुद्दई मजकुरुसदर ने इस अदालत में दरख्वास्त हुकूम मुशहर मन्सूखी डिसमिसी नालिश नाबुदा हस्ब हिदायत अदालत हाजा बतारीख माह सन ई0 पेश को है।

लिहाजा आपको इत्तिला दी जाती है कि आप इस अदालत में बतारीख 21 माह 05 सन 2025 या असालतन या बजरिये वकील अदालत हाजा या मुख्तार मजाज हस्ब जाप्ता और वाकिफ हाल मुकदमा में हाजिर होकर वजह (अगर कोई हो) जाहिर करें कि नाबुदा की दरख्वास्त क्यों न मन्जूर किया जाय।

मेरे दस्तखत और मुहर अदालत से आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन बनाम कायम मुकाम कानूनी मुद्दाअलेह मुतवफ्फा

(आर्डर 22, कायदा 4)

न्यायालय–श्रीमान अपर जिला जज/ एफ0टी0सी0 प्रथम महोदय बस्ती जिला–बस्ती

प्रकीर्ण सि0 अपील सं0–09/2023

योगेन्द्र सिंह

बनाम

गुरू प्रसाद सिंह

5/1 जवाहिर 5/2 हीरा 5/3 श्याम लाल पुत्रगण बलेसर 5/4 श्रीमती उतावली विधवा बलेसर 5/5 सीमा पुत्री स्व0 बलेसर 5/6 सुमन पुत्री स्व0 बलेसर वास्तविक पता साकिन पेलनी तप्पा छपिया परगना रसूलपुर तहसील भानपुर जिला–बस्ती

तारीख पेशी 22–04–2025

हरगाह मुद्दई ने एक नालिश इस अदालत में बतारीख माह सन 20 ई0 बनाम मुद्दाअलेह के रूजू की थी, जो बाद की मौत हरगाह मुद्दई मजकूर ने एक दरख्वास्त इस अदालत में गुजारी है कि आप मुतवफ्फा मजकूर का कायम मुकाम कानूनी वारिस है और चाहता है कि बजाय उसके मुद्दाअलेह बनाये जांय।

लिहाजा आपको हुक्म होता है कि बतारीख 22 माह 04 सन 2025 ई0 बवक्त 10 बजे इस अदालत में हाजिर होकर मुकदमा मजकूर जबाबदेही कीजिये और अगर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा वगैर हाजिरी आपके मसमूअ और फैसला होगा।

बवक्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब

(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)

न्यायालय–श्रीमान सिविल जज (सी0डि0) महोदय बस्ती जिला–बस्ती

मूलवाद सं0–621/2024

हरिवंश

बनाम

घनश्याम आदि

1. घनश्याम उम्र लगभग 30 वर्ष पुत्र लालू 2. रामनरायन उम्र लगभग 50 वर्ष धुरपति 3. रामकुमार उम्र लगभग 40 वर्ष पुत्र सतिराम 4. राजाराम उम्र लगभग 55 वर्ष पुत्र सहेजू 5. हीरालाल उम्र लगभग 40 वर्ष पुत्र अलगू 6. अनीता उम्र लगभग 30 वर्ष पत्नी योगेन्द्र 7. माधुरी उम्र लगभग 38 वर्ष पत्नी रामकुमार साकिनान मौजा अखनपुर तप्पा दुबौलिया परगना अमोढ़ा तहसील हर्रैया जिला–बस्ती

तारीख पेशी 07–05–2025

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 07 माह 05 सन 2025 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

–द0 हाकिम

कार्यालय ग्राम पंचायत कोड़ियाडीह वि0ख0 सल्टौआ गोपालपुर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान/मनरेगा/ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 04–04 2025 से 10–04–2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 11–04–2025 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समर्सिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढ़ा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंडजा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्ते– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(मनोज कुमार) ग्राम प्रधान **(किशन वर्मा)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /02.04.2025 वित्तीय वर्ष 2025–26

कार्यालय ग्राम पंचायत रामपुर मुड़री वि0ख0 सल्टौआ गोपालपुर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान/मनरेगा/ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 04–04 2025 से 09–04–2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 10–04–2025 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समर्सिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढ़ा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंडजा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्ते– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(किसमता देवी) ग्राम प्रधान **(किशन वर्मा)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /02.04.2025 वित्तीय वर्ष 2025–26

कार्यालय ग्राम पंचायत पकड़ी चौबे वि0ख0 सल्टौआ गोपालपुर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान/मनरेगा/ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 04–04 2025 से 11–04–2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 12–04–2025 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समर्सिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढ़ा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंडजा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्ते– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(दुर्गावती) ग्राम प्रधान **(विनोद कुमार)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /02.04.2025 वित्तीय वर्ष 2025–26

कार्यालय ग्राम पंचायत मुस्तफाबाद वि0ख0 सल्टौआ गोपालपुर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान/मनरेगा/ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 04–04 2025 से 10–04–2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 11–04–2025 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समर्सिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढ़ा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंडजा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्ते– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(रविन्द्र कुमार) ग्राम प्रधान **(विनोद कुमार)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /02.04.2025 वित्तीय वर्ष 2025–26

कार्यालय ग्राम पंचायत लप्सी वि0ख0 सल्टौआ गोपालपुर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान/मनरेगा/ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 04–04 2025 से 09–04–2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 10–04–2025 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समर्सिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढ़ा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंडजा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्ते– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(सुमन देवी) ग्राम प्रधान **(विनोद कुमार)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /02.04.2025 वित्तीय वर्ष 2025–26

कार्यालय ग्राम पंचायत रेहार जंगल वि0ख0 सल्टौआ गोपालपुर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान/मनरेगा/ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 04–04 2025 से 10–04–2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 11–04–2025 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समर्सिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढ़ा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंडजा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्ते– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(राम गनेश चौधरी) ग्राम प्रधान **(तनवीर अशरफ)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /02.04.2025 वित्तीय वर्ष 2025–26

बुलडोजर के साथ निकाली नव वर्ष की शोभा यात्रा

संवाददाता–संतकबीरनगर। विश्व हिंदू महासंघ के आह्वान पर चौत्र राम नवमी एवं सनातन हिंदू नव वर्ष के उपलक्ष्य में बृहस्पतिवार को शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। बुलडोजर व अन्य वाहनों के साथ हाईवे से होकर निकली यह शोभा यात्रा आकर्षण का केंद्र रही।

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
न्यायालय–श्रीमान अष्टम अति0 सिविल जज (जू0डि0) महोदय बस्ती जिला–बस्ती
मूलवाद सं0–809/2011
चन्द्र प्रकाश शुक्ल
बनाम
संतराम आदि

5/1 अनिल कुमार उम्र लगभग 34 वर्ष 5/2 सुनील कुमार उम्र लगभग 26 वर्ष पुत्रगण स्वो हरीराम 5/3 किरन देवी उम्र लगभग 20 वर्ष पुत्री हरीराम निवासीगण ग्राम शुकुलपुरा तप्पा ऊजी परगना नगर पश्चिम तहसील हर्रैया जिला–बस्ती

तारीख पेशी 29–04–2025

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 29 माह 04 सन 2025 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

–द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
न्यायालय–श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) खलीलाबाद महोदय बस्ती जिला–बस्ती
मूलवाद सं0–567/2022
रंगीलाल
बनाम
अम्बेलाल आदि

1. अम्बेलाल उम्र लगभग 32 वर्ष पुत्र हीरा 2. गनपती उम्र लगभग 65 वर्ष पत्नी हीरा 3. मीरा उम्र लगभग 30 वर्ष पुत्री हीरा 4. सियाराम उम्र लगभग 25 वर्ष पुत्र रामसूरत 5. प्रियंका उम्र लगभग 18 साल पुत्री रामसूरत 6. केशमती उम्र लगभग 42 वर्ष पत्नी रामसूरत साकिनान मौजा नगर खास तप्पा हवेली परगना नगर पूरव तहसील व जिला–बस्ती

–प्रतिवादीगण प्रथम वर्ग

7. झिनकान उम्र लगभग 45 वर्ष 8. मुंशीलाल उम्र लगभग 40 वर्ष 9. हरिश्चन्द्र उम्र लगभग 28 वर्ष पुत्रगण स्वो गुरदीन साकिनान मौजा नगर खास तप्पा हवेली परगना नगर पूरव तहसील व जिला–बस्ती

–प्रतिवादीगण द्वितीय वर्ग

तारीख पेशी 02–05–2025

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 02 माह 05 सन 2025 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

–द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन बनाम कायम मुकाम कानूनी मुदाअलेह मुतवफ्फा
(आर्डर 22, कायदा 4)
न्यायालय–श्रीमान एकादशम् अति0 सिविल जज (जू0डि0) महोदय बस्ती जिला–बस्ती
वाद सं0–86/1997
मुन्नीलाल
बनाम
रामरती

1. राम नरायन 2. प्रेमदास 3. जीत नरायन 4. गब्बर पुत्रगण भगवती साकिन पल्टनपुर तप्पा सिकन्दरपुर परगना बस्ती पूरव तहसील व जिला बस्ती

तारीख पेशी 17–04–2025

हरगाह मुद्दई ने एक नालिश इस अदालत में बतारीख माह सन 20 ई0 बनाम मुद्दाअलेह के रूजू की थी, जो बाद की मौत हरगाह मुद्दई मजकूर ने एक दरख्वास्त इस अदालत में गुजारी है कि आप मुतवफ्फा मजकूर का कायम मुकाम कानूनी वारिस है और चाहता है कि बजाय उसके मुद्दाअलेह बनाये जांय।

लिहाजा आपको हुक्म होता है कि बतारीख 17 माह 04 सन 2025 ई0 बवक्त 10 बजे इस अदालत में हाजिर होकर मुकदमा मजकूर जबाबदेही कीजिये और अगर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा वगैर हाजिरी आपके मसमूअ और फैसला होगा।

बवक्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन बनाम कायम मुकाम कानूनी मुदाअलेह मुतवफ्फा
(आर्डर 22, कायदा 4)
न्यायालय–श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) महोदय बस्ती जिला–बस्ती
वाद सं0–56/2005
अभिमन्यु
बनाम
भानमती

1/1 हनुमान प्रसाद पुत्र अम्बिका प्रसाद 1/2 अर्जुन प्रसाद पुत्र अम्बिका प्रसाद निवासीगण ग्राम मुरादपुर तप्पा सिकन्दरपुर परगना बस्ती पूरव तहसील भानपुर जिला–बस्ती

तारीख पेशी 21–04–2025

हरगाह मुद्दई ने एक नालिश इस अदालत में बतारीख माह सन 20 ई0 बनाम मुद्दाअलेह के रूजू की थी, जो बाद की मौत हरगाह मुद्दई मजकूर ने एक दरख्वास्त इस अदालत में गुजारी है कि आप मुतवफ्फा मजकूर का कायम मुकाम कानूनी वारिस है और चाहता है कि बजाय उसके मुद्दाअलेह बनाये जांय।

लिहाजा आपको हुक्म होता है कि बतारीख 21 माह 04 सन 2025 ई0 बवक्त 10 बजे इस अदालत में हाजिर होकर मुकदमा मजकूर जबाबदेही कीजिये और अगर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा वगैर हाजिरी आपके मसमूअ और फैसला होगा।

बवक्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

दैनिक
भारतीय बस्ती
संस्थापक सम्पादक स्व. दिनेश चन्द्र पाण्डेय
स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक प्रदीप चन्द्र पाण्डेय द्वारा दर्पण प्रिन्टिंग प्रेस वि0. नया हाल 1–4 A लोहिया काम्पलेक्स जिला पंचायत भवन गांधीनगर बस्ती (उ.प्र.) से मुद्रित एवं प्रकाशित।

प्रबन्ध सम्पादक–**दिनेश सिंह**
संयुक्त सम्पादक–**प्रदीप चन्द्र पाण्डेय**
अयोध्या–फैजाबाद कार्यालय–
चतुर्भुजी मंदिर परिसर लक्ष्मण घाट अयोध्या–फैजाबाद
लखनऊ कार्यालय–
आशियाना चौराहा, एल.डी.ए. कालोनी, सेक्टर एच. कानपुर रोड लखनऊ।
गोरखपुर कार्यालय–
इलाहीबाग गोरखपुर।
मो09450567450 9336715406,
ई.मेल**bhartiyabasti@yahoo.com**
bhartiyabasti@gmail.com